कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : .....

Date. : .....

संख्याः ई– 4026 /जी0एस0

दिनांक 03/06/ 2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डा0 धर्मेन्द्र कुमार, सह आचार्य, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2002 की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 10.10.2022 के माध्यम से विभागीय पारस्परिक वरिष्ठता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 को संशोधित कर, अपना नाम डॉ0 शाह वली उल्लाह एवं डॉ0 दीपक कुमार से ऊपर रखवाये जाने हेतु आवश्यक शुद्धिपत्र जारी कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदक का मुख्यतः यह कथन है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग में लेक्चरर/सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरने हेतु बैकलॉग (विशेष भर्ती अभियान) के तहत अनुसूचित जाति की 01 रिक्ति हेतु विज्ञापन संख्याः29/बी–14 दिनांक 21.06.2014 एवं सामान्य चयन हेतु विज्ञापन संख्या 53/बी–14, दिनांक 21.06.2014 (दो अनारक्षित, एक अनुसूचित जाति एवं दो अन्य पिछड़ा वर्ग के पद हेतु आरक्षित) प्रकाशित करते हुए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्रत्यावेदक ने दोनों विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लेक्चरर/सहायक आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन किया था। नियुक्ति आदेश दिनांक 07.03.2015 द्वारा प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग/विशेष चयन के अन्तर्गत लेक्चरर/सहायक आचार्य के पद पर किया गया। परिनियम 10.02(vii) के अनुसार चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिए गये उम्मीदवारों के नाम सामान्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग में रोस्टर के अनुसार रखकर पृथक–पृथक संस्तुत किये जाने चाहिए थे। चयन समिति द्वारा बैकलॉग विज्ञापन एवं सामान्य विज्ञापन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पृथक–पृथक चयन सूची तैयार की गई। चूँकि परिनियम 10.02(i) के अन्तर्गत चयन के समय आरक्षण का रोस्टर एक बाध्यता थी, इसलिए शासनादेश दिनांक 25.06.2022 के अनुसार, इस विभाग में 14 पदों के सापेक्ष आवेदक को रोस्टर के क्रमांक 05 पर

एवं डॉ. दीपक कुमार, डॉ. शाह वली उल्लाह एवं डॉ. शैलेन्द्र सिंह को क्रमांक 11, 12 और 13 पर रखा गया।

2(ख). परिनियम 11.10(7),(8) एवं (9) के अनुसार अनन्तिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और आपत्तियों, यदि कोई हों, के लिए शिक्षकों के बीच परिचालित करायी जाएगी। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद वरिष्ठता समिति को भेजा जाएगा जो निर्णय के कारण बताते हुए निर्णय करेगी। विधिवत तैयार की गयी अंतिम वरिष्ठता सूची कुलपति के अनुमोदनोपरान्त, उनके अनुसमर्थन के लिए कार्यकारी परिषद के समक्ष परिशोधन हेतु रखी जाएगी। व्याख्याता/सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए केवल सीधी भर्ती ही स्रोत है। वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए लागू वरिष्ठता नियम, 1991 के नियम 5 में प्रावधान है कि जहां नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जाएंगी, किसी एक चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो आयोग/चयन समिति द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में दर्शाई गई है। बाद के चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्ति, पहले चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे।

2(ग). शासनादेश संख्या 22/43/1982, दिनांक 04.10.1989 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पिछले चयन में रिक्त रह गये आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती/बैकलॉग अभियान का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह प्रावधानित है कि राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षित श्रेणी के पदों के निर्धारित कोटे को भरने के लिए, अगले नियमित चयन से पहले पिछले चयन के बचे हुए आरक्षित श्रेणी के पदों की विशेष भर्ती आयोजित की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के आदेश दिनांक 4 मार्च, 2014 के अनुसार बैकलॉग रिक्ति के सापेक्ष चयनित उम्मीदवारों को उस वर्ष के लिए रिक्तियों के रोटेशन के आधार पर, वरिष्ठता सूची में, जैसा भी मामला हो, अंतिम भर्ती प्राप्तकर्ता से नीचे रखा जाएगा। इन दो भर्ती अभियानों से पहले, विभाग में डॉ. कुमार शांतनु अंतिम भर्ती प्राप्तकर्ता हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25.01.2016 को परिचालित अनन्तिम/अस्थायी वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

2(घ). नोटिस दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से, कुलपति के पूर्वानुमोदन के बाद, विभिन्न विभागों में शिक्षकों की पारस्परिक–वरिष्ठता सूची तैयार करने हेतु एक तीन–सदस्यीय वरिष्ठता समिति का गठन किया गया। चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची के साथ–साथ उ0प्र0 वरिष्ठता नियम, 1991 के अनुसार कार्यभार ग्रहण का दिनांक, जन्म तिथि और चयन समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची के आधार पर परिनियम 11.10(1)(क)(ख) के तहत एक अस्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19.04.2022 को प्रसारित करते हुए शिक्षकों से आपत्तियां आमंत्रित की गयीं। प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग भर्ती में होने के कारण, उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची में प्रत्यावेदक का नाम डॉ. शाह वली उल्लाह, डॉ. दीपक कुमार और डॉ. शैलेन्द्र सिंह के ऊपर रखा गया था, जो विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया एक सही कदम था। उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.2022 के विरूद्ध अन्य तीनों पदधारियों ने आपत्तियां दर्ज करायीं, प्रत्यावेदक को उक्त वरिष्ठता सूची से कोई आपत्ति न होने के कारण उसने आपत्ति नहीं दर्ज करायी थी। वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने से संबंधित एजेंडा दिनांक 22.06.2022 को कार्य परिषद के समक्ष रखा गया था, जिसमें वरिष्ठता समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया कि विभागवार अंतिम वरिष्ठता सूची को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रत्यावेदक को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि वरिष्ठता समिति द्वारा चयन में प्राप्त अंकों के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए प्रत्यावेदक को उपर्युक्त तीनों पदधारियों से नीचे रखने की सिफारिश की गयी है।

2(च). विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा प्रसारित की गई है, जिसमें उल्लेख था कि अनन्तिम वरिष्ठता सूची के शिक्षकों की आपत्तियों का परीक्षण कर दिनांक 31.05.2022 को उन्हें निस्तारित कर दिया गया और कार्य परिषद द्वारा वरिष्ठता समिति की संस्तुतियॉ दिनांक 22.06.2022 को

स्वीकार कर ली गयी हैं। अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 में प्रत्यावेदक (क्रमांक 9) को तुच्छ पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर डॉ0 शाह वली उल्लाह (क्रमांक 7) एवं डॉ0 दीपक कुमार (क्रमांक 8), के नीचे रखा गया है, जो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर है, इसमें विश्वविद्यालय यह निर्णय लेने में विफल रहा कि सामान्य भर्ती और बैकलॉग/विशेष भर्ती अभियान के तहत दो अलग–अलग विज्ञापन जारी किए गए थे, जिसके आधार पर चयन समिति द्वारा दो अलग–अलग चयन किये गये। बैकलॉग भर्ती के तहत एक चयन सूची जिसमें आवेदक का एकमात्र नाम दर्शाया गया है और दूसरी सामान्य भर्ती के तहत, एक अलग चयन सूची जिसमें तीन पदधारियों के नाम दर्शाए गए हैं। दोनों विज्ञापनों की ज्येष्ठता सूची पृथक–पृथक बनायी गयी है। दो अलग–अलग चयनों/भर्तियों में प्राप्त अंकों की तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अलग–अलग चयन सूचियों के साथ दो अलग–अलग चयन हुए थे और आवेदक को बैकलॉग रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है। यदि एक विज्ञापन के तहत एक चयन हुआ होता और आवेदक को सामान्य भर्ती अभियान के तहत उपरोक्त तीन पदधारियों के साथ चुना गया होता, तो विश्वविद्यालय चयन में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतर वरिष्ठता तय कर सकता था, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा आरक्षण के रोस्टर को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसमें प्रत्यावेदक को प्रारम्भ से ही तीनों पदधारियों से ऊपर रखा गया था। इसके अलावा, विश्वविद्यालय परिनियम 10.02(vii) पर विचार करने और उसे लागू करने में भी विफल रहा, जो स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता का अलग क्रम और आरक्षण के रोस्टर में नियुक्ति प्रदान करता है।

2(छ). उक्त वरिष्ठता विवाद उत्पन्न होने एवं उसे परिनियम 11.10(8) के अन्तर्गत निर्णीत किये जाने से पूर्व अथवा पश्चात भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालय वरिष्ठता नियम 5 के प्रावधान पर विचार करने और उसे लागू करने में विफल रहा, जिसमें प्रावधान है कि बाद के चयन के परिणाम पर नियुक्त व्यक्ति पिछले चयन के परिणाम पर नियुक्त

व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे। शासनादेश दिनांक 04.10.1989 के अनुसार पिछले चयन के बचे हुए आरक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती/बैकलॉग अभियान अगले नियमित चयन से पहले आयोजित किया जाना चाहिए था। भले ही विश्वविद्यालय ने बैकलॉग/विशेष भर्ती अभियान और सामान्य भर्ती के लिए विज्ञापन एक ही दिन जारी किया था, लेकिन बैकलॉग भर्ती को पिछली चयन प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए और प्रत्यावेदक को डॉ. शाह वली उल्लाह और डॉ. दीपक कुमार से वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

2(ज). आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1875 ऑफ 2021 (एम. गुरुराज प्रसाद बनाम एपी पीएससी) एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के. शोबना व अन्य, (2021) 4 एससीसी 686 (एआईआर 2021 एससी 1267) में दिये गये निर्णय में माना गया है कि पिछले वर्ष से आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों पर पिछले भर्ती वर्ष के अंतिम बिंदु से रोटेशन के चक्र से पहले नियुक्तियाँ की जाएंगी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2021 को सिविल अपील संख्या 3745–3754 ऑफ 2020 में अवधारित किया गया है कि बाद की भर्ती में, बैकलॉग रिक्तियों और विशेष समुदाय के लिए वर्तमान रिक्तियों की अलग से घोषणा की जानी चाहिए, और सीधी भर्ती में पहले बैकलॉग रिक्तियों को समायोजित कर, उसके बाद वर्तमान रिक्तियों को समायोजित किया जाना चाहिए। अगली सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए चयन पहले बैकलॉग रिक्तियों के लिए किया जाए और फिर सामान्य रोटेशन का पालन किया जाए। अतएव अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2022 में प्रत्यावेदक का नाम विपक्षीगण से ऊपर रखवाये जाने हेतु आवश्यक शुद्धि–पत्र जारी कराया जाये ।

3(क). विपक्षीगण डा0 शाह वली उल्लाह, डा0 दीपक कुमार एवं डा0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पृथक–पृथक आख्या में समान रूप से उल्लेख किया गया है कि अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 16.07.2020, विश्वविद्यालय परिनियम एवं उ.प्र. के प्रासंगिक प्रावधानों एवं सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991 के अनुसार उचित एवं सही ढंग

से सभी संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद तैयार की गयी है। परिनियम 11.10(1)(ए) के अनुसार आचार्य, सह आचार्य से ज्येष्ठ समझा जाएगा और सह आचार्य सहायक आचार्य से ज्येष्ठ होगा। अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये कानून के अधीन प्रभावी सरकारी सेवक वरिष्ठता नियम, 1991, समय–समय पर यथासंशोधित परिवर्तनों सहित लागू होगा। योग्यता क्रम में उच्च रैंक वाला शिक्षक उन अन्य शिक्षकों से वरिष्ठ होगा, जिनकी योग्यता चयन सूची में नीचे है। यह चयन होने की तारीख से लागू होगा। ऐसे मामलों में, जहां शिक्षकों की वरिष्ठता के संबंध में सभी पैरामीटर समान हैं, वहां जो शिक्षक उम्र में वरिष्ठ है, उसे अन्य से वरिष्ठ माना जाएगा।

3(ख).विज्ञापन संख्या 29/बी–14 दिनांक 21.06.2014 अनुसूचित जाति की बैकलॉग रिक्ति की विशेष भर्ती के लिए एवं विज्ञापन संख्या 53/बी–14 दिनांक 21.06.2014 नियमित सामान्य भर्ती के लिए था। चयन समिति ने विज्ञापन के अनुसार प्रत्येक भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी की और प्रत्येक भर्ती के लिए योग्यता के क्रम में अलग चयन सूची तैयार की। तदनुसार, डॉ. शाह वली उल्लाह, डॉ. विनीत कुमार, डॉ. शैलेन्द्र सिंह, डॉ. दीपक कुमार और डा0 अभिषेक अग्रवाल को नियमित रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्त किया गया, जबकि प्रत्यावेदक को आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग के लिए विशेष भर्ती की रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया था जो एक आपातकालीन भर्ती है। चूँकि इन दोनों भर्तियों में चयन एक ही वर्ष में हुआ था और दोनों भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र एक ही तिथि 07.03.2015 को जारी किये गये थे। फलस्वरूप विज्ञापन संख्याः 53/बी–14 की नियमित भर्ती को वरिष्ठता नियम–5 की व्याख्या के दृष्टिगत पूर्व चयन माना जायेगा तथा आरक्षित वर्ग के बैकलॉग कोटे हेतु विज्ञापन संख्या 29/बी–14 की आपातकालीन विशेष भर्ती को आगामी चयन माना जायेगा। शासनादेश दिनांक 04.10.1989 केवल आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग कोटा की रिक्तियों की पहचान करने और भरने का तरीका निर्धारित करता है। वरिष्ठता का निर्णय वरिष्ठता नियम, 1991 द्वारा किया जाना है।

3(ग). चयन सूची को अंतिम रूप देने में चयन समिति द्वारा लागू किया गया फॉर्मूला सिविल अपील संख्या 3745–3754 आफ 2020, **तमिलनाडु राज्य एवं अन्य बनाम के. शोबना एवं अन्य** में उल्लिखित हैं कि आरक्षित वर्ग के बैकलॉग भर्ती की रिक्तियों और चालू वर्ष की सामान्य भर्ती की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के चयन के फार्मूले को आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखा जाये ताकि उन्हें सामान्य योग्यता सूची में भी स्थान मिल सके। सामान्य योग्यता सूची पहले भरी जाएगी, उसके बाद विशेष आरक्षित श्रेणी की बैकलॉग रिक्तियों को पहले भरा जाएगा तथा चालू वर्ष के लिए शेष आरक्षित रिक्तियां उसके बाद भरी जाएंगी।

3(घ). दोनों भर्तियों की चयन प्रक्रिया एक ही चयन समिति द्वारा एक साथ संचालित एवं सम्पन्न की गयी तथा चयन सूचियाँ एक साथ तैयार की गयीं। इस प्रकार चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और वरिष्ठता नियम, 1991 के अनुसार आरक्षण/रोस्टर के बावजूद चयन परीक्षा में प्राप्त योग्यता/अंकों के क्रम में सही ढंग से निर्धारित की गई है। एसएलपी (ई) संख्या 11039 आफ 2022, **मनोज परिहार एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य व अन्य** तथा **बिमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 5 एस.सी.सी. 604** में माना गया है कि रोस्टर प्रणाली केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है कि आरक्षण की मात्रा भर्ती में परिलक्षित होती है। रोस्टर प्रक्रिया का भर्ती किए गए लोगों के बीच अंतर वरिष्ठता से कोई लेना–देना नहीं है। रोस्टर प्वाइंट एक ही दिन में एक साथ नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता का निर्धारण नहीं करता है। एक साथ नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, वरिष्ठता नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर तय की जानी है। वरिष्ठता मौलिक अधिकार न होकर महज एक नागरिक अधिकार है। एक ही दिन नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों की अंतर–वरिष्ठता इसे नियंत्रित करने वाले नियमों पर निर्भर होगी। केवल किसी वैधानिक नियम के अभाव में ही सामान्य सिद्धांतों को लागू माना जा सकता है। वरिष्ठता का निर्धारण सेवा नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर तय किया जाता है। **पवन प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम रीवन**

सिंह अन्य, (2011) 3 एससीसी 267 प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि विशेष सेवा में अंतर वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। वरिष्ठता की गणना, रिक्ति की तिथि से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो।

3(च) प्रत्यावेदन में उल्लिखित न्यायिक घोषणाएँ प्रत्यावेदक के लिए सहायक नहीं हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसार विपक्षीगण को प्रत्यावेदक से वरिष्ठ पद पर उचित व सही ढंग से रखा गया है। प्रत्यावेदक द्वारा दावा की गई वरिष्ठता, वरिष्ठता नियम, 1991 के नियम 5 से प्रभावित है, अतएव प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

4(अ). विश्वविद्यालय की आख्या में उल्लेख है कि आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग में Backlog Advt. No. 29/B-14 दिनांक 21.06.2014 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under Backlog Recruitment SC-01) एवं General Advt. No. 53/ B-14 दिनांक 21.06.2014 द्वारा Lecturer/Assistant Professor (under General Recruitment UR-02, SC-01, OBC-02) पदों को विज्ञापित किया गया था। साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 07.03.2015 में अनुमोदनोंपरान्त Backlog Advt. No. 29/B-14 दिनांक 21.06.2014 के विरूद्ध डा0 धर्मेन्द्र कुमार की नियुक्ति सहायक आचार्य (SC-category under Backlog Recruitment) के पद पर एवं General Advt. No. 53/B-14, दिनांक 21.06.2014 के विरूद्ध विपक्षीगण की नियुक्ति की गयी थी।

4(ब). चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की तैयार की गयी पारस्परिक ज्येष्ठता सूची निम्नवत् हैः—

"Inter-se-seniority decided by the Selection Committee as follows:-

Backlog Recruitment

1. Dr. Dharmendra Kumar (Asst. Prof.) (SC)

General Recruitment

1. Dr. Shahwali Ullah (Asst.Prof.) (UR)
2. Dr. Vineet Kumar (Asst.Prof.) (OBC) ***(Resigned)***
3. Dr. Shailendra Singh (Asst.Prof.) (OBC)
4. Dr. Deepak Kumar (Asst.Prof.) (SC)
5. Dr. Abhishek Agarwal (Lecturer) (UR)

Seniority Committee Remarks

The inter-se-seniority maintained by the marks obtained by the candidates, one who obtained highest marks will be senior to the lower one. So as per recommendation of the Seniority Committee the Inter-se-seniority of the above faculties as follows:-

1. Dr. Shahwali Ullah (73)
2. Dr. Shailendra Singh (54)
3. Dr. Deepak Kumar (51)
4. Dr. Dharmendra Kumar (50)"

कुलसचिव कार्यालय में प्राप्त हुई आपत्तियों के परीक्षण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में पुनः कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2022 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णयानुसार अधिनियम, 2002 की धारा 41(d) एवं 41(e), परिनियम 11.10(7),(8),(9) में इंगित व्यवस्था के आधार पर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.04.2022 द्वारा आर्थोपेडिक सर्जरी विभाग एवं रेडियोडायग्नोसिस विभाग की विभागीय अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को जारी किया गया था, जिसमें शिक्षकों द्वारा आपत्तियाँ दर्ज करने हेतु 15 दिनों का समय दिया गया था, जिसके सापेक्ष डा0 धर्मेंद्र कुमार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी, परन्तु डा0 दीपक कुमार एवं डा0 शाह वली उल्लाह द्वारा आपत्ति दर्ज करायी गयी थी कि चयन समिति द्वारा तैयार Inter-se-Seniority में प्रत्यावेदक डा0 धर्मेंद्र कुमार, को डा0 दीपक कुमार एवं डा0 शाह वली उल्लाह से निम्न स्थान पर रखे जायें। ज्येष्ठता समिति द्वारा बैठक दिनांक 31.05.2022 में शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.04.2022 के क्रम में, प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अपनी संस्तुतियां उपलब्ध करायी गयी, जिसमें चयन समिति द्वारा तैयार Inter-se-Seniority के

अनुसार ही अंतिम ज्येष्ठता सूची को जारी किये जाने का निर्णय लिया गया जिसकी पुष्टि की गयी है ।

4(स). शासनादेश संख्या 22/43/1982 दिनांक 04.10.1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में अपेक्षित सुधार हेतु आरक्षित वर्ग के लिए विशेष चयन से सम्बंधित है न कि ज्येष्ठता से। दिनांक 15.01.2016 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी है। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाता है। ज्येष्ठता समिति द्वारा अधिनियम व परिनियम में इंगित व्यवस्था एवं नियमावली, 1991 में इंगित व्यवस्था के आधार पर ही ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी है। विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियमावली एवं नियमावली, 1991 में यह व्यवस्था इंगित नहीं है कि एक ही चयन वर्ष में चयनित अभ्यर्थियों को बैकलॉग के अन्तर्गत चयनित एवं सामान्य चयन के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखा जाए और न ही इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध है।

4(द). डा0 दीपक कुमार, डा0 शाह वली उल्लाह एवं डा0 शैलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0 17/बी–2022 दिनांक 19.04.2022 के सापेक्ष अपनी आपत्तियॉ दर्ज करायी गयी थी, जिसे ज्येष्ठता समिति के समक्ष परीक्षण/निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। ज्येष्ठता समिति द्वारा समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 में, शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए निम्न संस्तुति की गयी हैं:–

"Seniority Committee Remarks

The inter-se-seniority maintained by the marks obtained by the candidates, one who obtained highest marks will be senior to the lower one. So as per recommendation of the Seniority Committee the Inter-se-seniority of the above faculties according to the obtained marks in the interview as follows:-

1. *Dr. Shahwali Ullah (73)*
2. *Dr. Shailendra Singh (54)*

3. Dr. Deepak Kumar (51)
4. Dr. Dharmendra Kumar (50)

But due to six months service break of Dr. Shailendra Singh, he has not promoted to the post of Additional Professor, so the inter-se-seniority decided by the seniority committee as follows:-
1. Dr. Shahwali Ullah (Marks obtained-73)
2. Dr. Deepak Kumar (Marks obtained-51)
3. Dr. Dharmendra Kumar (Marks obtained-50)
4. Dr. Shailendra Singh (Marks obtained-54) ✶
✶However, at present, Dr. Shailendra Singh filed a Writ Petition No. SERB (25918/2018) and the matter is sub-judice in the Hon'ble High Court, Lucknow Bench, Lucknow. His seniority will be regain after promotion on the post of Professor Junior Grade (Additional Professor)."

विभिन्न विभागों की विभागवार अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी करने के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित ज्येष्ठता समिति द्वारा शिक्षकों की व्यक्तिगत पत्रावलियों में उपलब्ध अभिलेखों, *KGMU Act/Statute* में इंगित प्रावधानों, शासनादेशों एवं चयन समिति द्वारा चयन के सम्बन्ध में *selection proceedings* में दर्शायी गयी वरिष्ठता क्रम के आधार पर अंतिम कार्यवृत्त एवं विभागवार अंतिम ज्येष्ठता सूची जारी करने का प्रकरण विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 22.06.2022 के एजेण्डा आईटम नं0 02 पर विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयः *".....After due deliberation, it was resolved that the department wise final seniority lists submitted before the Hon'ble Executive Council be approved, except that of Dept. of Radiodiagnosis."* के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 82/बी–2022 दिनांक 16.07.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के शिक्षकों की विभागीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची (रेडियोडायग्नोसिस विभाग को छोड़कर) निर्गत की गयी थी।

4(य). कार्यालय ज्ञाप सं0 82/बी–2022 दिनांक 16.07.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागों के शिक्षकों की विभागीय पारस्परिक अन्तिम ज्येष्ठता सूची

(रेडियोडायग्नोसिस विभाग को छोड़कर) निर्गत की गयी थी, जिसके क्रम में डा0 धर्मेंद्र कुमार ने अपने पत्र दिनांक 10.08.2022 द्वारा *'It is therefore most respectfully prayed that all necessary corrigendum of Final Seniority List dated 16.07.2022 may be issued/circulated by placing my name above Dr. Shah Wali Ullah and Dr. Deepak Kumar'* अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में कार्यालय नोटिस सं0 112/बी–2022 दिनांक 18.08.2022 के सापेक्ष अपनी विभागीय ज्येष्ठता के सम्बन्ध में दिये गये प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु ज्येष्ठता समिति की बैठक दिनांक 23.08.2022 आहूत की गयी थी, ज्येष्ठता समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए यह संस्तुति की गयी कि : *"Agreed. No action is required. But the legal opinion may be obtained from the University counsel as per documents submitted by Dr. Dharmendra Kumar before the Seniority Committee on 23.08.2022."* जिसके क्रम में, विश्वविद्यालय द्वारा श्री शुभम त्रिपाठी, नामित अधिवक्ता को कार्यालय के पत्र सं0 8249/बी–2022 दिनांक 07.10.2022 द्वारा न्याय के दृष्टिगत विधिक राय हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर श्री शुभम त्रिपाठी ने पत्र दिनांक 19.04.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विधिक राय *"..... Thus, the points raised in the representation of Dr. Dharmendra Kumar are not legally plausible. Accordingly, from the perusal of the aforementioned facts, documents, representation of Dr. Dharmendra Kumar and legal position illustrated above, the undersigned is of the opinion that based on the factual peculiarity of the present issue and in accordance with the observations made by the Hon'ble Supreme Court in the case of* ***Pawan Pratap Singh and Others (Supra)*** *as illustrated above, their does not seem to be any infirmity in the view adopted by the seniority committee, in considering the marks obtained by the candidates/faculty members in deciding the seniority. Also, when in the present case selection committees for both the selections comprised of*

same members, appointments were done on the same day and Dr. Dharmendra Kumar appeared in both the selection processes. Moreover, in absence of any explicit rule some criteria were required to be determined. As such the seniority committee seems to have adopted the criteria as stated above. In absence of any specific rules which can be applied on the present set of facts, there appears to be no infirmity in the decision of seniority committee. As such the representation of Dr. Dharmendra Kumar may accordingly be decided on the basis of the aforesaid observations. Opinion Accordingly." के आलोक में प्रकरण निक्षेपित किया जाये।

5. विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित उपर्युक्त आख्या पर प्रत्यावेदक द्वारा अपने पूर्व कथनों को पुनर्कथित करते हुए उल्लेख किया गया है कि आर्थोपैडिक सर्जरी विभाग के बैकलॉग एवं सामान्य विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु चयन समति द्वारा दिनांक 20 एवं 21 फरवरी, 2015 को साक्षात्कार लेकर उसे बैकलॉग रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की गयी तथा सामान्य विज्ञापन के सापेक्ष चयनित उम्मीदवारों की अलग से अनुशंसा की गयी थी। इस प्रकार से चयन समिति द्वारा दो अलग–अलग विज्ञापनों के सापेक्ष साक्षात्कार के पश्चात दो अलग–अलग विज्ञापनों हेतु अलग–अलग अनुशंसा की गयी थी। बैकलॉग विज्ञापन सामान्य विज्ञापन से पूर्व प्रकाशित है और चयन समिति द्वारा भी प्रत्यावेदक के चयन को पूर्व चयन मानते हुये Backlog चयन के अभ्यर्थी को सामान्य चयन के ऊपर रखते हुये ज्येष्ठता निर्धारित की गयी थी जो विश्वविद्यालय की आख्या में दर्शाया गया है। वरिष्ठता समिति द्वारा दोनों चयनों को एक चयन मानते हुये प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में Dr. Shahwali Ullah, Dr. Shailendra Singh एवं Dr. Deepak Kumar के पश्चात स्थान देने में विधिक त्रुटि की गयी है। प्रत्यावेदक के चयन में अलग विज्ञापन एवं अलग अनुशंसा होने के कारण उसकी पारस्परिक ज्येष्ठता पश्चवर्ती विज्ञापन General Advt.53/B-

14 के चयनित अभ्यर्थियों से नीचे किया जाना प्रत्यावेदक के साथ अन्याय है। प्रत्यावेदक के प्रकरण में rank higher in merit को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि चयन समिति द्वारा Backlog Advt. No. 29/B-14 दिनांक 21.06.2014 व General Advt. No.53/B-14 दिनांक 21.06.2014 हेतु अलग–अलग चयन करके अलग–अलग अनुशंसा की गयी थी। General Advt. No. 53/B-14 में एक से अधिक पद होने के कारण पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित कर चयन की अनुशंसा की गयी थी। चयन समिति द्वारा अपनी अनुशंसाओं में विज्ञापनों का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि चयन समिति द्वारा दो पृथक विज्ञापनों के सापेक्ष अलग–अलग चयन व अलग–अलग अनुशंसाएं की गयी हैं। प्रत्यावेदक का विज्ञापन पूर्ववर्ती होने के कारण उसका चयन पूर्ववर्ती होगा एवं उसे वरिष्ठता सूची में विपक्षीगण से ऊपर स्थान प्राप्त होगा। बैकलॉग विज्ञापन नं0 29/बी–14 एवं सामान्य विज्ञापन नं0 53/बी–14 होने के कारण चयन समिति द्वारा प्रत्यावेदक के चयन को पूर्व चयन मानते हुए बैकलॉग चयन के अभ्यर्थी के चयन को सामान्य चयन के ऊपर रखकर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है जैसा विश्वविद्यालय की आख्या में भी दर्शाया गया है। वरिष्ठता समिति द्वारा अलग–अलग अनुशंसाएं किये जाने के बाद भी दोनों चयनों को एक चयन मानते हुए प्रत्यावेदक को विपक्षीगण के पश्चात स्थान देने में विधिक त्रुटि एवं अन्याय किया गया है। प्रत्यावेदक के चयन का विज्ञापन पूर्ववर्ती होने के कारण उसका चयन पूर्ववर्ती होगा तथा उसे वरिष्ठता सूची में विपक्षीगण से ऊपर स्थान प्राप्त होगा। ज्येष्ठता समिति द्वारा प्रत्यावेदक के नाम को ज्येष्ठता सूची में सामान्य विज्ञापन के चयनित अभ्यर्थियों से नीचे रखकर यह कहा जाना कि चयन समिति द्वारा निर्धारित inter-se-seniority के अनुसार प्रत्यावेदक का नाम ज्येष्ठता सूची में रखा गया है, गलत है।

शासनादेश दिनांक 04.10.1989 के प्रस्तर (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि अगले नियमित चयन से पूर्व पिछले नियमित चयन की अवशेष आरक्षित रिक्तियों का चयन कराया जाये, प्रत्यावेदक की रिक्ति बैकलॉग रिक्ति थी तथा विज्ञापन की संख्या भी

सामान्य विज्ञापन की संख्या से पूर्ववर्ती थी तथा चयन समिति द्वारा विज्ञापन संख्या का उल्लेख करते हुये अलग–अलग अनुशंसा की गयी थी। पूर्ववर्ती चयन होने के कारण प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में उसी वर्ष के पश्चवर्ती चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर स्थान प्राप्त होगा, जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत सिविल अपील संख्या–3745–3754/2020 State of Tamil Nadu and others versus K. Shobana etc. एवं आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा M. Gururaja Vs. APPSC के निर्णयों से पुष्टित है।

अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.2022 में प्रत्यावेदक को विपक्षीगण Dr. Shahwali Ullah, Dr. Shailendra, Dr. Deepak Kumar के ऊपर क्रमांक संख्या (7) पर रखे जाने से प्रत्यावेदक को कोई शिकायत/आपत्ति न होने के कारण उसके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दाखिल की गयी थी। ज्येष्ठता समिति द्वारा उक्त दोनों चयनों को एक चयन मानते हुए मेरिट के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित करते हुए ज्येष्ठता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 को निर्णय लिया गया तथा दिनांक 22.06.2022 को विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे कार्य परिषद द्वारा मेकेनिकल मैनर में अनुमोदित कर दिया गया है, जो प्रत्यावेदक के अधिकारों का हनन करती है। प्रत्यावेदन में वर्णित विधिक व्यवस्थाएं इस प्रकरण में पूर्णतः लागू होती हैं। प्रत्यावेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2022 के क्रम में दिनांक 23.08.2022 को आहूत ज्येष्ठता समिति बैठक में उसकी आपत्तियों का निस्तारण करते हुये सम्बन्धित संस्तुति पर विश्वविद्यालय नामित अधिवक्ता श्री शुभम त्रिपाठी की विधिक राय दिनांक 19.04.2023 से स्पष्ट है कि श्री त्रिपाठी को ज्येष्ठता समिति की बैठक दिनांक 23.08.2022 में लिये गये निर्णय से भी अवगत कराया गया है (विधिक राय का प्रस्तर 10) जिससे श्री त्रिपाठी द्वारा दी गयी विधिक राय पूर्वाग्रह से ग्रसित है तथा विधिक राय में वर्णित विधि व्यवस्थाओं से प्रत्यावेदक का प्रकरण आच्छादित नहीं है, अतएव प्रत्यावेदक को याचित अनुतोष दिलाये जाने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाये।

6. विपक्षीगण की आख्या पर प्रस्तुत प्रत्युत्तर में प्रत्यावेदक का कथन है कि प्रत्यावेदक का चयन बैकलाग रिक्तियों की पूर्ति हेतु पूर्ववर्ती बैकलॉग विज्ञापन संख्या 29–बी/14 द्वारा किया गया था। वर्णित शासनादेश के प्रस्तर (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि अगले नियमित चयन से पूर्व पिछले नियमित चयन की अवशेष आरक्षित रिक्तियों का चयन कराया जाये। प्रत्यावेदक का विज्ञापन, सामान्य विज्ञापन से पूर्ववर्ती विज्ञापन था तथा चयन समिति द्वारा पूर्ववर्ती व पश्चवर्ती चयनों के सापेक्ष अलग–अलग अनुशंसाएं की गयी हैं, पूर्ववर्ती चयन होने के कारण प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में उसी वर्ष के पश्चवर्ती चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर स्थान प्राप्त होगा। बैकलॉग के जिस पद पर प्रत्यावेदक का चयन हुआ है वह निश्चित रूप से सामान्य पदों के विज्ञापन से पूर्व चयन हेतु उपलब्ध था। अतः प्रत्यावेदक को पूर्व चयनित अभ्यर्थी माना जायेगा।

ज्येष्ठता समिति द्वारा प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में सामान्य विज्ञापन के अन्तर्गत चयनित विपक्षी संख्याः 01, 02 एवं 3 से नीचे यह कह कर रखा गया है कि चयन समिति द्वारा inter-se-seniority निर्धारित की गई है, उक्तानुसार प्रत्यावेदक का नाम गलत स्थान पर रखते हुए उसका victimization किया जा रहा है अतएव प्रत्यावेदक का नाम वरिष्ठता सूची में Dr. Shahwali Ullah, Dr. Shailendra Singh एवं Dr. Deepak Kumar से ऊपर स्थान पर रखवाया जाये।

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग में लेक्चरर/सहायक आचार्य के रिक्त पदों को भरने हेतु बैकलॉग (विषेष भर्ती अभियान) के तहत अनुसूचित जाति की 01 रिक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 29/बी–14 दिनांक 21.06.2014 एवं सामान्य चयन हेतु विज्ञापन संख्या 53/बी–14, दिनांक 21.06.2014 द्वारा आनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये थे। प्रत्यावेदक द्वारा इन दोनों विज्ञापनों में अनुसूचित जाति के लेक्चरर/सहायक आचार्य के रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन किया था। बैकलॉग (विशेष भर्ती अभियान) के तहत अनुसूचित जाति की 01 रिक्ति हेतु प्रथम विज्ञापन संख्या 29/बी–14 दिनांक 21.06.2014 के विरुद्ध

कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : .....

Date. : .....

नियुक्ति आदेश दिनांक 07.03.2015 के अनुसार लेक्चरर/सहायक आचार्य के बैकलॉग/विशेष चयन पद पर प्रत्यावेदक का चयन किया गया। द्वितीय विज्ञापन संख्या 53/B-14 दिनांक 21.06.2014 के विरूद्ध विपक्षीगण डा0 शाह वली उल्लाह, डा0 अभिषेक अग्रवाल, डा0 दीपक कुमार, डा0 विनीत कुमार एवं डॉ0 शैलेन्द्र सिंह की नियुक्ति सहायक आचार्य के पद पर की गयी थी। इन पृथक–पृथक विज्ञापनों व चयन/नियुक्तियों के सापेक्ष, चयन समिति द्वारा पृथक–पृथक उपलब्ध करायी गयी अनुशंसा/संस्तुति से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग विज्ञापन संख्या 29/बी–14(बैकलॉग चयन एससी–01) के सापेक्ष किया गया है। प्रत्यावेदक के कथनानुसार प्रकरण बैकलॉग/विशेष भर्ती से तथा विपक्षीगण के कथनानुसार प्रकरण वरिष्ठता से अन्तर्ग्रस्त है ।

8. शासनादेश संख्याः 22/43/1982–कार्मिक–2 दिनांक 04.10.1989 प्रकरण में अवलोकनीय है जिसका सुसंगत अंश निम्नवत् है :

"मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.01.1989 में अनुसूचित जाति/जन–जाति के लिए राज्याधीन सेवाओं में निर्धारित कोटा पूरा करने हेतु अगला नियमित चयन करने से पूर्व पिछले नियमित चयन की अवशेष आरक्षित वर्ग के लिए विशेष चयन केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए सीमित रखते हुए आयोजित करने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में शासन के समक्ष अनेक जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें सीमित प्रतियोगिता/चयन के लिए आरक्षित रिक्तियों के गणना के बिन्दु उठाये गये हैं। अधिकांश नियुक्ति प्राधिकारियों तथा विभागों को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सीमित विशेष चयन हेतु किन–किन आरक्षित रिक्तियों को गणना में लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि विशेष चयन हेतु केवल वे आरक्षित रिक्तियॉ आगणन में लायी जायेंगी, जो पिछले नियमित चयन, जिसके अनुक्रम में प्रश्नगत विशेष चयन आयोजित किया जा रहा हो, में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित की गयी थी किन्तु किन्हीं कारणोवश भरी न जा सकी हों। ऐसे विशेष चयन में उन रिक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जो पूर्व में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित की गयी थी किन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण तथा कार्य हित में तदर्थ आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भर ली गयी हों। शर्त यह है कि ऐसी तदर्थ नियुक्तियों के विनियमितीकरण की नीति से आच्छादित न होती हों। ऐसी रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर तदर्थ नियुक्तियॉ तत्काल समाप्त करते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान की जाएगी। विशेष चयन में वे

रिक्तियॉ भी सम्मिलित की जाएगी जो पूर्व में किन्हीं कारणोवश आरक्षित घोषित कर दी गयी हों, किन्तु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरी न जा सकी हों।

3. मुझे यह भी स्पष्ट करना है कि यदि त्रुटिवश या अन्य किन्हीं कारणोंवश पिछले अन्तिम सामान्य चयन के अवसर पर अग्रनीत रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट न की गयी हो तो विशेष चयन आयोजित करने के उद्देश्य से पिछले अभिलेखों के प्रकाश में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि पिछले अन्तिम सामान्य चयन के अवसर पर निर्धारित नीति के अनुसार कुल कितनी रिक्तियॉ अग्रेनीत रिक्तियों की श्रेणी में आती हैं।

4. उक्त व्यवस्था सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों ही मामलों में समान रूप से अपनायी जायेगी।....''

9. प्रकरण में, चयन प्रकिया से सम्बन्धित परिनियम/व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पृथक–पृथक विज्ञापन द्वारा व्याख्याता/सहायक आचार्य के पद विज्ञापित किये गये। चयन समिति द्वारा प्रथम विज्ञापन संख्या 29/बी–14 दिनांक 21.06.2014 के विरुद्ध प्रत्यावेदक का चयन किये जाने की संस्तुति की गयी। द्वितीय विज्ञापन संख्या 53/बी–14 के विरूद्ध विपक्षीगण का चयन किये जाने की संस्तुति की गयी, उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक विज्ञापनों व चयन/नियुक्तियों के सापेक्ष, चयन समिति द्वारा की गयी पृथक–पृथक संस्तुतियॉ नियमानुकूल रही हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गयी विभाग की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 19.04.2022 में प्रत्यावेदक को विपक्षीगण के ऊपर रखे जाने तक प्रत्यावेदक को कोई शिकायत/आपत्ति न होने के कारण उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी थी। ज्येष्ठता समिति द्वारा उक्त दोनों चयनों को एक चयन मानते हुए मेरिट के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता अवधारित करते हुए ज्येष्ठता समिति की बैठक दिनांक 31.05.2022 को निर्णय लिया गया तथा दिनांक 22.06.2022 को विचारार्थ/निर्णयार्थ कार्य परिषद में प्रस्तुत किया गया, जिसे कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित करके प्रकरण पर विश्वविद्यालय के नामित अधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त कर तदनुसार प्रकरण निस्तारित कर दिया गया।

10(अ). विपक्षीगण की आख्यानुसार, मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिमलेश तंवर बनाम हरियाणा राज्य व अन्य, एआईआर 2003 एससी 2000** में पारित निर्णय दिनांक

10.03.2003 में यह अवधारित किया गया है कि *"Furthermore, it is now well settled that a settled seniority position should not be unsettled. The respondents had already been posted to the post of Additional District Judge. As would appear from the report of the sub-committee that the seniority list was published in the year 1992. Representations were, however, made only in the year 1997 which was rejected by the High Court on 22nd August, 1997. The writ petition was filed in March, 1998 which was dismissed by reason of the impugned judgment dated 18.08.1999."*

10(ब). मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पवन प्रताप सिंह व अन्य बनाम रीवन सिंह व अन्य, (2011) 3 एससीसी 267** में दिनांक 10.02.2011 में यह अवधारित किया गया है कि *"561. The decision relates to a dispute of seniority between direct recruits and promotes but in that case the Court considered the question of ante-dating the date of recruitment on the ground that the vacancy against which the appointment was made had arisen long ago. In paragraph 18 of the decision (at page 578 of the SCC) the Court framed one of the points arising for consideration in the case as follows : "(4) Whether the direct recruits could claim a retrospective date of recruitment from the date on which the post in direct recruitment was available, even though the direct recruit was not appointed by that date and was appointed long thereafter?"*..... विपक्षीगण व विश्वविद्यालय के नामित अधिवक्ता द्वारा समर्थित उपर्युक्त निर्णयज विधियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गयी उपर्युक्त निर्णयज विधियॉ विशुद्ध रूप से "वरिष्ठता निर्धारण" से सम्बन्धित हैं अतएव वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं है।

11. विश्वविद्यालय कार्य परिषद द्वारा यह संज्ञान नहीं लिया गया है कि प्रत्यावेदक का चयन बैकलॉग के अंतर्गत, सामान्य भर्ती विज्ञापन संख्या 53/बी–14 से पूर्व, पृथक विज्ञापित विज्ञापन संख्या 29–बी/14 के विरुद्ध, आरक्षित एकल पद के सापेक्ष किया गया है अर्थात उक्त विज्ञापन, सामान्य भर्ती विज्ञापन संख्या 53/बी–14 से पूर्व निर्गत/विज्ञापित किया गया है तथा चयन समिति द्वारा भी प्रत्यावेदक के नाम की अलग से विज्ञापन संख्या का उल्लेख करते हुए संस्तुति की गयी। अधिनियम /परिनियमावली में उपर्युक्त प्रयोजनार्थ कोई विशिष्ट नियम न होने एवं शासनादेश

कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : .....

Date. : .....

दिनांक 04.10.1989 के दृष्टिगत प्रत्यावेदक का चयन, पूर्ववर्ती चयन होने के कारण प्रत्यावेदक को ज्येष्ठता सूची में उसी वर्ष के पश्चवर्ती चयनित अभ्यर्थियों से ऊपर स्थान प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। बैकलॉग के जिस पद पर प्रत्यावेदक का चयन हुआ है वह निश्चित रूप से सामान्य पदों के विज्ञापन से पूर्व चयन हेतु उपलब्ध था, अतः प्रत्यावेदक को पूर्व चयनित अभ्यर्थी माना जायेगा। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने से सम्बन्धित निर्णयज विधि **स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम के. शोबना व अन्य,** एआईआर 2021 एससी 1267 में दिनांक 05.03.2021 को पारित निर्णयादेश का सुसंगत अंश अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :

"*27. There can be no doubt about the proposition that if a word is used in a Statute, it cannot be made otiose as held in Hardeep Singh (supra). However, that is not the factual scenario in this case. The question arises as to at which stage would Section 27 of the Act operates, and where in the list, the application of the "first" principle would apply. Section 27 deals with the reservation. It has nothing to do with the general candidates list/ General Turn vacancies. Such of the candidates who have made it on their own merit albeit, from reserved category, have not sought the benefit of the reservation. Thus, Section 27 of the Act would have nothing to do up to that point. Section 27 would apply only when the reservation principle begins, which is after filling up of the seats on merit. Thus, the word "first" would apply at that stage, i.e.,* ***the backlog vacancies have to be filled in first and the current vacancies to be filled in thereafter.*** *At the stage when the general category seats are being filled, there is thus no question of any carry forward or current vacancies for reserved category arising at all."* एवं "*29. It appears that such a situation may not arise in the future as all backlog vacancies are stated to have been filled in. The performance and merit of candidates, as apparent from the list in question, would itself show as to how many candidates have been successful to attain appointment on a merit position without even availing of reservation- an extremely encouraging aspect! The*

कुलाधिपति
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
CHANCELLOR
KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
UTTAR PRADESH, LUCKNOW

राजभवन, लखनऊ
RAJBHAWAN, LUCKNOW

Ref. No. : .....

Date. : .....

increase in MBC/DNC candidates really does not impinge on the reservation of seats for other categories, nor does it violate any provision of the Constitution of India. Though, of course, it would imply that some of the other candidates from different reserved categories would not be entitled to fill in the reserved seats of MBC/DNC categories, if those seats would have remained vacant."

12(अ).अतएव, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के आलोक में, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.07.2022 द्वारा निर्गत वरिष्ठता सूची स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है अतः विश्वविद्यालय कार्य परिषद को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यावेदक को याचित अनुतोष दिये जाने के सम्बन्ध में अविलम्ब उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

12(ब).प्रत्यावेदक का प्रत्यावेदन स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डा0 धर्मेन्द्र कुमार, सह आचार्य, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. डा0 शाह वली उल्लाह, सहायक आचार्य, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. डा0 शैलेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकेत्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. डा0 दीपक कुमार, सहायक आचार्य, ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।

03/6/24

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।